न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर, ब्यावर (जिला–अजमेर)
पीठासीन अधिकारी– श्वेता चौहान (आई.ए.एस.)

राजस्व विविध प्रार्थना पत्र संख्या 01/2020 (2020/00013)

राजस्थान सरकार बजरिये तहसीलदार लैण्ड होल्डर ब्यावर, जिला–अजमेर

.........................प्रार्थी

बनाम

ग्राम विकास अधिकारी, ग्राम पंचायत तारागढ़ तहसीलदार ब्यावर (राज.)

................अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 131, 132, 136 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम

आदेश दिनांक : 02.09.2020

प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर सारांशतः कथन किए कि भूमि हाल खसरा संख्या 1 कुल रकबा 30–00–00 बीघा किस्म दांती में से 00–18–00 मौजा रूढाणा में स्थित है। उक्त आराजी का प्रार्थी लैण्ड होल्डर है। उक्त सिवायचक भूमि पर ग्राम पंचायत तारागढ़ द्वारा सड़क निर्माण किया जा चुका है तथा उक्त सिवायचक भूमि में से 18 बिस्वा भूमि पर रास्ते का निर्माण किया जा चुका है जिसका राजस्व रेकार्ड में अंकन करना अतिआवश्यक है। प्रार्थना पत्र हाजा के लिए बिना मुखसमत दिनांक 26.12.2019 को पैदा हुआ जब पटवारी हल्का ने प्रार्थी को अप्रार्थी द्वारा पैरा संख्या 1 में वर्णित भूमि में अवैध रूप से एवं बिना सक्षमाधिकारी की स्वीकृति के ग्राम पंचायत द्वारा रास्ता प्रस्तावित कर एवं कायम करने की सूचना जरिये रिपोर्ट दी गई। अतः प्रार्थना पत्र के पैरा संख्या 1 में वर्णित भूमि में से 18 बिस्वा भूमि का प्रस्तावित खसरा नम्बर का रिकार्ड में अमल दरामद तथा नक्शे में तरमीम हेतु आदेश प्रदान करावें।

प्रार्थना पत्र प्राप्त होने पर प्रकरण दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थी को जरिए नोटिस तलब किया गया।

अप्रार्थी संख्या 1 ने अपने जवाब में कथन किए हैं कि ग्राम पंचायत ताराकढ़ द्वारा श्रवणसिंह के मकान से रावतमाल सीमा तक ग्रेवल सड़क निर्माण किया गया, सड़क जारी है। सिवायचक भूमि पर सड़क के रकबे का राजस्व रिकार्ड में अंकन व मानचित्र में तरमीम किया जाना आवश्यक है।

बहस प्रार्थी सुनी गई जिनके कथन कमोबेश उनके प्रार्थना पत्र अनुसार ही रहे तथा कथन किए कि सिवायचक भूमि में जो रास्ता बना दिया गया है उसका राजस्व रेकार्ड में इन्द्राज व नक्शे में तरमीम किया जावे।

बहस के परिप्रेक्ष्य में पत्रावली का अवलोकन किया गया। बाद अवलोकन प्रार्थी तहसीलदार ब्यावर द्वारा प्रस्तुत इस प्रार्थना पत्र के समर्थन में पेश किये गये दस्तावेजात में उनके पत्रांक भूअ/7173 दिनांक 30.12.2019 प्रस्तुत किया है जिसमें 18 बिस्वा रास्ता रिकार्ड एवं नक्शे में अंकन किये जाने का प्रस्ताव की प्रति है। राजस्व नक्शे की प्रति मय प्रस्तावित रास्ता प्रस्तुत किया है। ग्राम रूढाणा पटवार क्षेत्र तारागढ़ की जमाबन्दी संवत् 2070–73 की प्रमाणित प्रति प्रस्तुत की है जिसके खाता संख्या 1 में अंकित खसरा संख्या 1 रकबा 30 बीघा किस्म दांती पहाड़िया और पर्वत दर्ज है।

उक्त समस्त दस्तावेजी साक्ष्य एवं बहस के परिप्रेक्ष्य में यह पाया गया है कि उक्त प्रकरण धारा 136 भू राजस्व अधिनियम की श्रेणी में नहीं आता है क्योंकि इसमें किसी प्रकार की लिपिकीय त्रुटि अथवा भूल से कोई गलत अंकन होना नहीं पाया जाता है। यहां यह भी उल्लेखनीय है कि प्रकरण में पक्षकार केवल मात्र ग्राम विकास अधिकारी, ग्राम पंचायत तारागढ़ को ही बनाया गया है जबकि सरपंच, ग्राम पंचायत तारागढ़ एवं संबंधित विकास अधिकारी जवाजा भी आवश्यक पक्षकार हैं। ग्राम पंचायत द्वारा बिना किसी सक्षम स्वीकृति के सिवायचक भूमि में निर्माण किया जाना प्रथम दृष्टया ही गलत व कानूनन सही नहीं है। यह प्रकरण धारा 131, 132 व 136 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम के परव्यू में नहीं आने से स्वीकार योग्य नहीं है तथा खारिज़ किया जाता है। खर्चा पक्षकारान अपना अपना वहन करें।

आदेश आज दिनांक 02.09.2020 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(श्वेता चौहान)
उपखण्ड अधि. एवं सहायक कलक्टर
ब्यावर

(श्वेता चौहान)
आई.ए.एस.
उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन